जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों पर दिनांक 29.07.2022 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन कार्येक्रम के अन्तर्गत जनपद में कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 29.07.2022 को की गयी, जिसमें जल निगम (ग्रामीण)/कार्यदायी संस्था/टी0पी0आई0/डीपीएमयू/आई0एस0ए0 के निम्न अधिकारी एवं उनके कर्मचारी उपस्थित थे–

1. मुख्य विकास अधिकारी,मऊ।
2. श्री एम0ए0 किदवाई, अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)।
3. श्री के0 भाष्कर, प्रतिनिधि मे0 एल0सी0 इन्फ्रा।
4. श्री दीपक शुक्ला, डी0पी0एम0,टी0पी0आई0 संस्था।
5. श्री नन्दलाल सिंह, जिला कोआर्डीनेटर,डी0पी0एम0यू0।
6. श्री प्रदीप केशरी, डी0पी0एम0यू0।
7. श्री बृजेश गिरी,प्रतिनिधि अभिनव बाल विकास संस्थान (आई0एस0ए0)
8. श्रीमती शिखा तिवारी, प्रतिनिधि समाज कल्याण ग्रामोद्योग (आई0एस0ए0)
9. मोहम्मद दानिश, प्रतिनिधि विकास सेवा संस्थान (आई0एस0ए0)

बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चल रहे कार्यों एवं डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्न निर्देश दिये गये।

1. अधिशासी अभियन्ता जलनिगम द्वारा अवगत कराया गया कि एल0सी0इन्फ्रा अहमदाबाद द्वारा निर्धारित लक्ष्य 342 राजस्व ग्राम के सापेक्ष 339 राजस्व ग्राम का डी0पी0आर0 तैयार कर उपलब्ध कराया गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है परीक्षणोपरान्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। कोई भी नया डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया है। गत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि सूची का परीक्षण कराकर यह देख लें कि कहीं डुप्लेकेशी तो नहीं हो रही है। मुख्य विकास अधिकारी से सूची अप्राप्त है। मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 03 दिवस के अन्दर आख्या प्रस्तुत करें।
2. फर्म द्वारा 96 ग्रामों का त्रिपक्षीय अनुबन्ध गठन किया गया है जिसके सापेक्ष अभी तक 95 ग्रामों में कार्य प्रारम्भ प्रारम्भ हुआ है। पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये थे कि सभी कार्यो का एग्रीमेन्ट स्वयं देख लें और जिन 7 ग्रामों में फर्म मेसर्स एल0सी0इन्फ्रा द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, उक्त स्थिति को दर्शाते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मिशन निदेशक को भेजने हेतु पत्रालेख तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाय। परन्तु मुख्य विकास अधिकारी द्वारा यह कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। पुनः निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी सभी कार्यो का एग्रीमेन्ट स्वयं देख लें और जिन 7 ग्रामों में फर्म मेसर्स एल0सी0इन्फ्रा द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, उक्त स्थिति को दर्शाते हुए

Scanned with OKEN Scanner

उनके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मिशन निदेशक को भेजने हेतु पत्रालेख तीन दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाय।

3. फर्म द्वारा 98 ग्रामों में ट्यूबेल की लोवरिंग का कार्य कराया गया है। यह कार्य अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में किया जाना है। गत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जलनिगम को निर्देश दिये गये थे कि कितने स्थानों पर लोवरिंग के समय अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता उपस्थित थे, अवगत करायें, तथा उसकी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी अवगत करायें कि कितना निरीक्षण जलनिगम द्वारा किया गया उस स्थिति से भी अवगत करायें। नलकूल की लोवरिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की गुणवत्ता पाईप की डाया, गहराई एवं पाईप की मोटाई निर्धारित मानक के अनुसार है अथवा नहीं। पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शत–प्रतिशत कार्यो का क्रास सत्यापन/जांच मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कराया जाए एवं पूर्व में दिए गए निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चत करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा 164 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 161 ग्राम पंचायतों का आगणन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 108 ग्राम पंचायतों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, शेष 23 ग्राम पंचायतों की स्वीकृति अवशेष है। उनके द्वारा आगणन पर सम्बन्धित अधिकारियों से हस्ताक्षर कराने की कार्यवाही की जा रही है। तत्काल विभागीय अधिकारियों से हस्ताक्षर कराकर स्वीकृति की कार्यवाही की जाय, साथ ही विलम्ब का कारण भी स्पष्ट करें।
5. टी0पी0आई0 मेधज द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे पास मात्र 9 व्यक्ति है जिनसे कार्य लिया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा टी0पी0आई0 मेधज को निर्देश दिये गये कि 89 साईट की टेक्निकल एवं एग्रीमेन्ट रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करें। यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त 89 साईट का 09 व्यक्तियों द्वारा भ्रमण कर लिया गया है, इस आशय का प्रमाण–पत्र अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
6. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि पुनर्गठन की 6 परियोजनायें है, जिससे 113 ग्राम आच्छादित होते है, जिनका डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है। 10 बन चुके है, 6 ग्राम गुणवत्ता प्रभावित है, जिनका भी डी0पी0आर0 बनाया जा रहा है। समीक्षा में पाया गया कि विगत बैठक के उपरान्त इसमें कोई भी प्रगति नहीं है, न ही इससे सम्बन्धित कोई रिपोर्ट ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देष दिये गये कि सम्बन्धित फर्म से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र डी0पी0आर तैयार कराकर प्रस्तुत करें।
7. विगत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिये गये थे कि फर्म द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति समय से न किये जाने पर उनके उपर कार्यवाही किये जाने एवं जुर्माना लगाये जाने का क्या प्राविधान है, इसकी जानकारी प्राप्त कर अवगत करायें। परन्तु समीक्षा में पाया गया कि विगत बैठक के उपरान्त इससे सम्वन्धित कोई रिपोर्ट ही अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया

Scanned with OKEN Scanner

है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं पुनः निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।

8. विगत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये थे कि टी0पी0आई0 मेधज द्वारा ट्यूबवेल की लोवरिंग का विवरण फोटो सहित दिया जाये। लोवरिंग के समय विद्युत यांत्रिक खण्ड के जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता की फोटो भी लगायी जाए। परन्तु निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।
9. विगत बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये थे कि समीक्षा के दौरान अधिषासी अभियन्ता, जलनिगम से परियोजनाओं के निरीक्षण की जानकारी किये जाने पर उनके द्वारा सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। निर्देश दिये गये कि समस्त परियोजनाओं का सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से निरीक्षण कराकर आख्या प्रस्तुत करें। परन्तु निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पुनः निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी निर्देशों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।
10. जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति से अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 05–06–2021 को 4 डी0पी0आर0, दिनांक 28–06–2021 को 21 डी0पी0आर0, दिनांक 20–07–2021 को 31 डी0पी0आर0, दिनांक 11–11–2021 को 44 डी0पी0आर0 एवं 18–12–2021 को 38 डी0पी0आर0 कुल 138 डी0पी0आर0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था। जिसमें से 108 डी0पी0आर0 की स्वीकृतिं प्राप्त हुई है। शेष 30 डी0पी0आर0 स्वीकृति हेतु अवशेष है। अधिशासी अभियन्ता जलनिगम के शिथिल पर्यवेक्षण के कारण यह डी0पी0आर0 अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाया। निर्देश दिये गये कि तत्काल अवशेष डी0पी0आर0 स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय एवं मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मिशन निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को जिलाधिकारी महोदय की तरफ से अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।
11. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन स्तर पर आई0एस0ए0/डी0पी0एम0यू0/टी0पी0 आई0 की नियमित समीक्षा बैठक की जाये।
12. निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं वाले ग्रामों को जो अभी तक आई0एस0ए0 को आंवटित नही है, को जन जागरूकता एवं अन्य कार्यक्रम हेतु प्राथमिकता के आधार पर ग्राम आंवटित किये जाये। ग्राम आंवटित करते समय विशेष घ्यान दिया जाये कि जिन आई0एस0ए0 का प्रदर्शन ठीक रहा हो उन्ही को प्राथमिकता दी जाये।
13. आई0एस0ए0 समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान, ग्राम–चौबरा, पोस्ट–धर्मागतपुर, गाजीपुर, अभिनव बाल एवं ग्रामोथान समिति ग्राम–तिवारीपुर, पोस्ट कोटवा, लखनऊ एवं विकास सेवा संस्थान ग्राम विश्वनाथपुर पोस्ट सरयांतिवारी, गोरखपुर को 40–40 ग्रामों का कलस्टर आवंटित किया गया था, जिसमें उन्हें ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन, विलेज एक्शन प्लान का गठन, मासिक महिला बैठक, मिश्रित बैठक,

Scanned with OKEN Scanner

बृहद बैठक, ग्रामीण सहभागी आकलन, प्रभात फेरी, हैण्डवाश, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति का लागत तथा अनुरक्षण खाता खोलना आदि कार्य किया जाना था। तीनों संस्थाओं द्वारा 09–09 गतिविधियां प्रत्येक 40 ग्रामों में किया जाना था। इस प्रकार प्रत्येक संस्था द्वारा कुल 360 गतिविधियां किया जाना था। परन्तु इसके सापेक्ष आई0एस0ए0 समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा 320, अभिनव बाल एवं ग्रामोथान समिति द्वारा 320 एवं विकास सेवा संस्थान द्वारा कुल 280 गतिविधियां ही पूर्ण की गयी है। इनमें से विकास सेवा संस्थान की प्रगति सबसे खराब है। इस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि उपरोक्त स्थिति को दर्शाते हुए विकास सेवा संस्थान के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मिशन निदेशक, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र भेजा जाय।

उक्त पर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(राम सिंह वर्मा)
मुख्य विकास अधिकारी
मऊ।

<u>कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी,मऊ।</u>

पत्रांक 926 /जलनिगम/बैठक–कार्यवृत्त/2022–23 दिनांक 03.08.2022

प्रतिलिपि <u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. मिशन निदेशक,राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन,उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय,मऊ को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम मऊ को इस निर्देश के साथ कि स्वयं अनुश्रवण कर समस्त कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

3/8/22

मुख्य विकास अधिकारी
मऊ।

Scanned with OKEN Scanner